

पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश

अभ्युक्ति

दिनांक

11/02/2023

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष अनुपस्थित है। प्रतीत होता है कि इस वाद में इन्हे कोई रूची नहीं है। अतः दिनांक 11.02.2023 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अंतिम निष्पादन हेतु भेजे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

11/02/2023

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरांत न्यायालय को संसूचित नहीं है। वाद की निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो गई। वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

सदस्य-1

लो0अ0, गढ़वा।

सदस्य-2

लो0अ0, गढ़वा।

